

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-94/2020-21

छोटानागापुर कास्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

मो० जानकी देवी बनाम अर्जुन महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

मो० जानकी देवी पति-स्व० चरकुम महतो,
ग्राम-बीरदीडीह, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

अर्जुन महतो पिता-स्व० मंगला महतो,
ग्राम-वीरदीडीह, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी,
पेशा-खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री शिव शंकर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-31/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता अर्जुन महतो पिता-स्व० मंगला महतो, ग्राम-वीरदीडीह, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बीरदीडीह	सोनाहातु/34	57	289	8.5 डी०
			290	02 डी०
				चौहद्दी:-
				उ०-सहायक रास्ता।
				द०-सहायक रास्ता।
				पू०-हरीराम महतो।
				प०-बुधराम महतो वगैरह।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक-469(ii) दिनांक-15/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत माटु महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के पुत्रवधु लगती है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम हेमन्त महतो, संजु महतो, मोहन महतो है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2019-20 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्रवधु लगती है। तथा खतियान के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायम किसम की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-4.39½ एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी का इलाज हेतु बिक्री कर रही है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता मो० जानकी देवी पति-स्व० चरकुम महतो, ग्राम-बीरदीडीह, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, को क्रेता अर्जुन महतो पिता-स्व० मंगला महतो, ग्राम-बीरदीडीह, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-31/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।


अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता मो० जानकी देवी पति-स्व० चरकुम महतो, ग्राम-बीरदीडीह, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-गृहिणी, को क्रेता अर्जुन महतो पिता-स्व० मंगला महतो, ग्राम-बीरदीडीह, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची,

झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।


भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बीरदीडीह	सोनाहातु/34	57	289	8.5 डी०
			290	02 डी०
				<u>चौहद्दी:-</u>
				उ०-सहायक रास्ता।
				द०-सहायक रास्ता।
				पू०-हरीराम महतो।
				प०-बुधराम महतो वगैरह।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।


भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।